वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, जागरूक एक्सप्रेस, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 12.11.2024

पोर्टल पर मानचित्र अपलोड करने के बारे में बताया

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को सभागार में एक कार्यशाला हुई। कार्यशाला में नियोजन अनुभाग के अभियंता संग आर्किटेक्ट मौजूद रहे। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने पोर्टल पर मानचित्र अपलोड करने में आ रही समस्याओं को दूर करने के बारे में बताया। बैठक में सहायक अभियंता रामचंद्र, सहायक अभियंता जेपी गुप्ता व संजय तिवारी आदि मौजूद थे।

अमर उजाला–दि0 12.11.2024

अवैध बेसमेंट निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडीए वीसी पुंलकित गर्ग ने बताया कि वार्ड सिकरौल में विनय कुमार जायसवाल द्वारा मकान संख्या एस 17/25-03 नदेसर में बिना अनुमति के बेसमेंट का अवैध निर्माण किया जा रहा था। वहां सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इस मौके पर जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश व अवर अभियंता अतुल मिश्रा मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 12.11.2024

आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अपलोड करें मानचित्र

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को मानचित्र स्वीकृति में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठक हुई। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि स्टील्ट फ्लोर पर भूतल में पार्किंग क्षेत्र के समायोजन के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इसमें समझाया गया कि मानचित्र अपलोड करते समय पार्किंग क्षेत्र को कैसे समायोजित किया जाए ताकि तकनीकी आपत्तियों से बचा जा सके। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 12.11.2024

मानचित्र स्वीकृति पर मंथन किया

वाराणसी। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को वीडीए मुख्यालय में बैठक हुई। नगर नियोजक प्रभात कुमार ने आर्किटेक्टों को ओबीपीएएस पोर्टल पर आवेदन से जुड़ी दिक्कतों के समाधान के बारे में जानकारी दी। नगर नियोजक ने मानचित्र अपलोड करते समय पार्किंग क्षेत्र को समायोजित करने की जानकारी दी। वहीं मानचित्र स्वीकृति के दौरान वीडीए की आपत्तियों पर जेई, एई की मदद से जल्द हल करने को कहा। उन्होंने कहा कि आपत्तियों का निस्तारण कराने के बाद ही संशोधित मानचित्र अपलोड किया जाए ताकि अनावश्यक देरी न हो।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 12.11.2024

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। सिकरौल वार्ड के अंतर्गत विनय कुमार जायसवाल द्वारा नदेसर में पूर्ण निर्मित जी+3 भवन में बिना अनुमति के बेसमेंट का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने सील कर थाना कैंट की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 12.11.2024

मानचित्र स्वीकृति में तेजी के लिए वीडीए का प्रयास जारी

पोर्टल पर समस्याओं के निराकरण पर दिया प्रशिक्षण

वाराणसी। वीडीए में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक की गयी। नगर नियोजक प्रभात कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य ओबीपीएएस पोर्टल पर वास्तुविद (आर्किटेक्ट्स) द्वारा मानचित्र अपलोड करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना था। बैठक में विशेष रूप से स्टील्ट फ्लोर पर भूतल में पार्किंग क्षेत्र के समायोजन के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वास्तुविद को यह समझाया गया कि मानचित्र अपलोड करते समय पार्किंग क्षेत्र को कैसे समायोजित किया जाए ताकि तकनीकी आपत्तियों से बचा जा सके। वास्तुविद को निर्देशित किया गया कि ओबीपीएएस पोर्टल पर मानचित्र स्वीकृति के दौरान जो भी आपत्तियां दर्शायी जाती हैं, उन्हें संबंधित अवर अभियंता, सॉफ्टेक इंजीनियर और सहायक अभियंता की मदद से जल्द हल किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आपत्तियों का निराकरण कराने के उपरांत ही संशोधित मानचित्र को अपलोड किया जाए ताकि नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी आश्वाशन दिए गए कि अन्य संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

न्यायाधीश–दि0 12.11.2024

मानचित्र स्वीकृति में तेजी के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण में बैठक आयोजित

वाराणसी।वाविप्रा वाराणसी के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर नियोजक प्रभात कुमार के नेतृत्व मे आयोजित इस बैठक का उद्देश्य ओबीपीएएस पोर्टल पर वस्तुविद (आर्किटेक्ट्स) द्वारा मानचित्र अपलोड करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करना था।बैठक मे विशेष रूप से स्टील्ट फ्लोर पर भूतल मे पार्किंग क्षेत्र के समायोजन के बारे मे तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वस्तुविद को यह समझाया गया कि मानचित्र अपलोड करते समय पार्किंग क्षेत्र को कैसे समायोजित किया जाए ताकि तकनीकी आपत्तियों से बचा जा सके। वस्तुविद को निर्देशित किया गया कि OBPAS पोर्टल पर मानचित्र स्वीकृति के दौरान जो भी आपत्तियां दर्शायी जाती है, उन्हें संबंधित अवर अभियंता, सॉफ्टेक इंजीनियर और सहायक अभियंता की मदद से शीघ्र हल किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आपत्तियों का निराकरण कराने के उपरांत ही संशोधित मानचित्र को अपलोड किया जाए ताकि नागरिको को मानचित्र स्वीकृति मे अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। बैठक मे यह भी आश्वाशन दिए गए कि अन्य संबंधित विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) शीघ्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 12.11.2024

वाविप्रा जोन-1 की टीम ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।इसके तहत 11 नवम्बर को वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत विनय कुमार जायसवाल द्वारा मकान संख्या एस 17/25-03 नदेसर में पूर्ण निर्मित जी+3 भवन में बिना अनुमति के बेसमेंट का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा सील कर थाना कैंट की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश अवर अभियंता अतुल मिश्रा मौजूद रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 12.11.2024

वीडीए में ओबीपीएएस पोर्टल पर समस्याओं के निराकरण पर जोर

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर नियोजक प्रभात कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य OBPAS पोर्टल पर वस्तुविद (आर्किटेक्ट्स) द्वारा मानचित्र अपलोड करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करना था। बैठक में विशेष रूप से स्टील्ट फ्लोर पर भूतल में पार्किंग क्षेत्र के समायोजन के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वस्तुविद को यह समझाया गया कि मानचित्र अपलोड करते समय पार्किंग क्षेत्र को कैसे समायोजित किया जाए ताकि तकनीकी आपत्तियों से बचा जा सके। वस्तुविद को निर्देशित किया गया कि OBPAS पोर्टल पर मानचित्र स्वीकृति के दौरान जो भी आपत्तियां दर्शायी जाती हैं, उन्हें संबंधित अवर अभियंता, सॉफ्टेक

इंजीनियर और सहायक अभियंता की मदद से शीघ्र हल किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आपत्तियों का निराकरण कराने के उपरांत ही संशोधित मानचित्र को अपलोड किया जाए, ताकि नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी आश्वासन दिए गए कि अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) शीघ्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।